भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2949
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीकेवीवाई के अंतर्गत सम्मिलित की गई भूमि का क्षेत्रफल
2949. श्री बी. के. पार्थसारथीः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गई भूमि का क्षेत्रफल, इससे लाभान्वित किसानों की संख्या तथा शामिल किए गए जिलों का वर्गीकृत राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत समर्थित क्लस्टरों की कुल संख्या का वर्गीकृत राज्यवार और आंध्र प्रदेश के संदर्भ में जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ग) जैविक खेती में रूपांतरण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की कुल राशि का ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म इनपुट की खरीद का वर्गीकृत राज्यवार और आंध्र प्रदेश के संदर्भ में जिलावार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या इस योजना के तहत कोई नया किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाया गया है, यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित किए गए एफपीओ का वर्षवार और इनके लिए आवंटित और संवितरित धनराशि का वर्गीकृत राज्यवार और आंध्र प्रदेश के संदर्भ में जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) को राज्य सरकारों के माध्यम से क्लस्टर मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है और आर्गेनिक के रूप में प्रमाणीकरण के लिए लगातार 3 वर्षों की अवधि तक उसी क्षेत्र और उन्हीं लाभार्थियों द्वारा गतिविधियाँ की जाती हैं। चूँकि किसी क्षेत्र को आर्गेनिक घोषित करने में 3 वर्ष लगते हैं, इसलिए किसी विशेष वर्ष में नियत क्षेत्र का आवंटन और किसान 3 वर्षों तक वही रहते हैं। पिछले पाँच वर्षों के लिए पीकेवीवाई के तहत कवर किए गए क्षेत्र और लाभान्वित किसानों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): आंध्र प्रदेश में पीकेवीवाई के अंतर्गत 3.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 7.46 लाख किसानों को कवर करते हुए 5315 क्लस्टर कार्यान्वित किए गए हैं। क्लस्टरों का जिलावार विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): पीकेवीवाई योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जैविक क्लस्टरों में 3 वर्षों में कुल 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों को ऑन फार्म एवं ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए सीधे प्रदान किए जाते हैं, 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए, 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए तथा 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं। एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। दिनांक 05.03.2025 तक, पीकेवीवाई योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को वर्ष 2015-16 से 347.91 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(घ): पीकेवीवाई योजना राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, ऑन फार्म/ऑफ फार्म इनपुट की खरीद का विवरण तथा राज्यवार और जिलावार आंकड़े राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध होते हैं तथा केंद्रीय स्तर पर उनका ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ड.): योजना को क्लस्टर मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है।

अनुबंध – I

पीकेवीवाई के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान कवर किए गए क्षेत्र और लाभान्वित किसानों की संख्या का राज्यवार विवरण (2019-20 से 2023-24 तक)

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	किसान
1	आंध्र प्रदेश	312793	648270
2	बिहार	23021	28772
3	छत्तीसगढ़	97279	53454
4	गुजरात	12564	13314
5	गोवा	10000	12685
6	झारखंड	20300	22507
7	कर्नाटक	10000	11630
8	केरल	82100	285540
9	मध्य प्रदेश	47360	47360
10	महाराष्ट्र	41596	37173
11	ओडिशा	39400	59003
12	पंजाब	2041	1762
13	राजस्थान	125500	159979
14	तमिलनाडु	30700	33282
15	तेलंगाना	300	637
16	उत्तर प्रदेश	158785	242672
17	पश्चिम बंगाल	19000	42298
18	हिमाचल प्रदेश	14044	33768
19	उत्तराखंड	129040	271859
20	जम्मू और कश्मीर	4600	11500
21	अंडमान और निकोबार	14491	3590
22	लद्दाख	10480	14070
	कुल	**1205495**	**2035479.00**

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

*****